कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड

विश्वकर्मा भवन, प्रथम तल, 4 सुभाष रोड़ सचिवालय परिसर, देहरादून–248001

email id election09@gmail.com फोन न0 (0135) – 2713760, 2713551 फैक्स न0 (0135) –2713724

संख्याः 1170 /XXV-25/2025 देहरादून दिनांक 16 जुलाई, 2026

विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision) के अन्तर्गत आलेख्य निर्वाचक नामावली के प्रकाशन के उपरान्त नोटिस वितरण, सुनवाई की कार्ययोजना एवं अन्य महत्वपूर्ण विषयों की समीक्षा हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 14 जुलाई, 2026 (मंगलवार) को अपरान्ह 01:00 बजे आहूत ऑनलाइन समीक्षा बैठक का कार्यृत्त

उपस्थित :–

1. जिला निर्वाचन अधिकारी।
2. उप जिला निर्वाचन अधिकारी।
3. सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी।

बैठक का प्रारम्भ मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारियों का स्वागत करते हुए किया गया। तत्पश्चात विशेष गहन पुनरीक्षण–2026 (Special Intensive Revision-2026) के अंतर्गत दिनांक 14 जुलाई, 2026 को आलेख्य निर्वाचक नामावली के प्रकाशन उपरान्त दावे एवं आपत्तियों के निस्तारण, नोटिस वितरण, सुनवाई एवं दस्तावेज सत्यापन की कार्ययोजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया गया।

बैठक में निम्न महत्वपूर्ण निर्देश दिये गये :–

1. दिनांक 14 जुलाई, 2026 को सभी विधानसभाओं की आलेख्य निर्वाचक नामावली का समयबद्ध एवं त्रुटिरहित प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।
2. प्रत्येक मतदान केन्द्र पर नामावली की पर्याप्त प्रतियां उपलब्ध कराई जाएं।
3. आलेख्य नामावली का व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए जिससे अधिकाधिक नागरिक उसका अवलोकन कर सकें।
4. राजनीतिक दलों एवं मान्यता प्राप्त अभ्यर्थियों को नियमानुसार प्रतियां उपलब्ध करायी जाएं।
5. Draft Roll के साथ–साथ Service Voter List का भी समय से प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।
6. दिनांक 14 जुलाई, 2026 से 13 अगस्त, 2026 तक प्राप्त होने वाले सभी Form–6, Form–7 एवं Form–8 के आवेदन नियमानुसार स्वीकार किए जाएं तथा उनका ऑनलाइन एवं ऑफलाइन पंजीकरण समय से किया जाए। सभी आवेदन निर्धारित समय सीमा में निस्तारित किए जाएं।
7. ECINet प्रणाली के माध्यम से स्वतः जनरेट होने वाले नोटिसों का समयबद्ध मुद्रण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाए। विशेष रूप से निम्न श्रेणियों के मतदाताओं को नोटिस जारी किये जाने हैं–
   - Unmapped Electors
   - Mapped with Anomalies वाले मतदाता
   - Form–6, 7 एवं 8 से संबंधित दावे एवं आपत्तियों के प्रकरण
8. सभी जिला निर्वाचन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि नोटिस समय से संबंधित मतदाताओं तक पहुंच जाएं। बैठक में निम्न समय–सीमा का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए गए–
   - नोटिसों की PDF तैयार करना।
   - नोटिसों का मुद्रण।
   - नोटिसों का वितरण।
   - चरणबद्ध रूप से नोटिसों की सुनवाई।
   - Form–6, 7 एवं 8 सहित समस्त प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण।

सभी जिला निर्वाचन अधिकारी प्रतिदिन इसकी प्रगति की समीक्षा करेंगे तथा किसी भी स्तर पर विलम्ब नहीं होने देंगे।

9. मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय द्वारा पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में पुनः निर्देशित किया गया कि– प्रत्येक AERO के लिए भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सुनवाई केन्द्र निर्धारित किये जाएं ताकि ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के मतदाताओं को न्यूनतम दूरी तय करनी पड़े तथा शहरी क्षेत्रों में भीड़भाड़ से बचने हेतु क्लस्टर आधारित सुनवाई की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक ERO/AERO सुनवाई का निश्चित समय निर्धारित करें तथा उसी का पालन करें।

10. बैठक में निर्देशित किया गया कि प्रत्येक सुनवाई केन्द्र पर पूर्व में दिये गये निर्देशों के क्रम में सार्वजनिक सुनवाई हेतु आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

11. सुनवाई के दौरान प्राप्त होने वाले दस्तावेजों के सत्यापन हेतु शिक्षा विभाग, राजस्व विभाग, नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत, पंचायती राज/ग्रामीण विकास विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग आदि के जिला स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी नामित करने के निर्देश दिए गए।

12. प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी स्तर पर दस्तावेज सत्यापन हेतु पृथक ई-मेल आईडी संचालित करने के भी निर्देश दिए गए।

13. ईआरओ नेट प्रणाली द्वारा चिन्हित समस्त विसंगतियों (Anomalies) का गंभीरता से परीक्षण किया जाए। ऐसे प्रत्येक प्रकरण में ईआरओ/एईआरओ द्वारा नियमानुसार सुनवाई कर कारणयुक्त आदेश (Speaking Order) पारित किया जाए।

14. सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वह नोटिस वितरण, सुनवाई तथा लम्बित प्रकरणों की प्रतिदिन प्रगति की समीक्षा करें। ERO, AERO एवं BLO सभी गतिविधियों की नियमित मॉनिटरिंग करें तथा ERO, AERO एवं BLO के मध्य सतत समन्वय बनाए बनाते हुए आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें।

बैठक के अंत में मुख्य निर्वाचन अधिकारी महोदय ने निर्देशित किया कि विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के प्रत्येक चरण का निष्पादन निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप पूर्ण पारदर्शिता, शुद्धता एवं समयबद्धता के साथ किया जाए। प्रत्येक पात्र मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित हो तथा कोई भी पात्र मतदाता छूटने न पाए। सभी अधिकारियों को व्यक्तिगत उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने के निर्देश के साथ सभी प्रतिभागियों का धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक का समापन किया गया।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

संख्या- 1170 / **XXV-25/2025** तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, भारत निर्वाचन आयोग, निर्वाचन सदन, अशोक रोड़, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, कुमायूं एवं गढ़वाल मण्डल, नैनीताल/पौड़ी।
3. समस्त जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी।
4. कार्यालय प्रति।

(मस्तू दास)
सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के साथ Draft Roll 2026 के प्रकाशन हेतु VC के माध्यम से समीक्षा बैठक की (14 जुलाई 2026)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के साथ Draft Roll 2026 के प्रकाशन हेतु VC के माध्यम से समीक्षा बैठक की (14 जुलाई 2026)

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सभी जनपदों के साथ Draft Roll 2026 के प्रकाशन हेतु VC के माध्यम से समीक्षा बैठक की (14 जुलाई 2026)